

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5961/2023

जगदीश प्रसाद पुत्र श्री कल्लूराम, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम टोडा पोस्ट
प्रतापगढ़, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. अरविंद कुमार पुत्र श्री ठंडूराम, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी ढाणी कोल्याली,
ग्राम भूरियावास, तहसील थानागाजी, जिला अलवर।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) सह जिला कलेक्टर, अलवर, जिला कलेक्टर
कार्यालय, अलवर।
3. रिटर्निंग अधिकारी, ग्राम पंचायत भूरियावास, पंचायत समिति, थानागाजी, जिला
अलवर, राजस्थान, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) और जिला कलेक्टर,
अलवर के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री आर.बी. माथुर-वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री हितेश बागड़ी, श्री फलक माथुर, श्री युग सिंह, श्री दर्श श्री वर्मा
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री राजेश कुमार शर्मा के साथ श्री जितेंद्र चौधरी, श्री नीरज बत्रा-सरकारी वकील

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप कुमार ढंड

आदेश

आरक्षित दिनांक

06/11/2024

उद्घोषित दिनांक

22/11/2024

रिपोर्ट करने योग्य

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 602/2024 में पारित दिनांक 27.09.2024 के आदेश के अनुपालन में, इस याचिका को अंतिम निपटान के लिए लिया गया और पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, अंतिम बहस सुनी गई और आदेश दिनांक 06.11.2024 को आरक्षित किया गया।
2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 3 जिला अलवर द्वारा पारित दिनांक 15.02.2023 के चुनौतीप्राप्त निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट होकर दायर की गई है। इस निर्णय के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संक्षेप में, '1994 का अधिनियम') की धारा 43 और राजस्थान पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 (संक्षेप में, '1994 के नियम') के नियम 80 के तहत दायर चुनाव याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत भूरियावास, पंचायत समिति, थानागाजी, जिला अलवर के सरपंच के पद पर रहने के लिए अपात्र घोषित किया गया है और आगे जिला कलेक्टर, अलवर को विधि के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया गया है।
3. ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर द्वारा पारित दिनांक 10.04.2023 के आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा उपचुनावों के लिए नई चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई है और कुछ व्यक्तियों को चुनाव अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता ने ग्राम पंचायत भूरियावास, पंचायत समिति, थानागाजी, जिला अलवर के सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ा था और उसके चुनाव को प्रतिवादी संख्या 1 ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अलवर की अदालत में चुनाव याचिका दायर करके चुनौती दी थी, जिसे अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 3-अलवर की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ चुनाव याचिका

इस आधार पर दायर की गई थी कि याचिकाकर्ता के पास 1994 के अधिनियम के तहत निर्धारित कट-ऑफ तिथि यानी 27.11.1995 के बाद दो अतिरिक्त बच्चे थे। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि नामांकन प्रपत्र जमा करते समय, याचिकाकर्ता के पुत्र-राजेश की जन्मतिथि 05.07.1990 और याचिकाकर्ता की पुत्री-ममता की जन्मतिथि 15.07.1994 बताई गई थी। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि राजेश की जन्मतिथि के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से अनजाने में एक गलती हुई है। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि सरकारी स्कूल द्वारा रखे गए छात्र पंजी के अनुसार, उनके पुत्र-राजेश की सही जन्मतिथि 01.01.1995 है और निजी स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार, उनकी पुत्री-ममता की जन्मतिथि 15.04.1994 है। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि ये सभी दस्तावेज चुनाव अधिकरण के समक्ष रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए गए थे और यहां तक कि सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, टोडा के प्रधानाध्यापक, सीताराम प्रजापत (डीडब्ल्यू-3) का साक्ष्य भी दर्ज किया गया था, जिन्होंने शपथ पर स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रवेश फॉर्म में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार, याचिकाकर्ता के पुत्र-राजेश की जन्मतिथि 01.01.1995 थी। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने दो दस्तावेज, यानी स्कूल प्रवेश फॉर्म और राजेश की जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी अनुलग्नक ए-5 और ए-6 को साबित और प्रदर्शित किया। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि ममता की जन्मतिथि के संबंध में, दो दस्तावेजी साक्ष्य, यानी स्कूल प्रवेश फॉर्म और संबंधित स्कूल द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जो रिकॉर्ड पर रखे गए थे, प्रदर्शित किए गए थे, लेकिन उन पर विचार किए बिना और इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज किए बिना, याचिकाकर्ता के खिलाफ चुनौतीप्राप्त निर्णय केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 वीं की दो अंकतालिकाओं के आधार पर पारित किया गया है। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि कक्षा 10 वीं की अंकतालिकाओं को जन्मतिथि के निर्धारण के लिए एकमात्र मानदंड नहीं माना जा सकता है, जब रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्य उपलब्ध थे। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि कक्षा 10 वीं की अंकतालिकाओं में दर्ज जन्मतिथि कुछ कारणों से सही नहीं हो सकती है, लेकिन बचपन में दोनों बच्चों के प्रवेश के समय जमा किए गए स्कूल प्रवेश फॉर्म में उल्लिखित जन्मतिथि को गलत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि

कोई भी व्यक्ति भविष्य में गलत प्रविष्टि का लाभ उठाने की कल्पना नहीं करेगा। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:-

- (1) बृज मोहन सिंह बनाम प्रिया ब्रत नारायण सिन्हा और अन्य रिपोर्टेड एआईआर 1965 एससी 282
- (2) बिराद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित रिपोर्टेड एआईआर 1988 एससी 1796
- (3) जोशन गौड़ा बनाम बृंदाबन गौड़ा और अन्य रिपोर्टेड 2012(5) एससीसी 634
- (4) ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य रिपोर्टेड 2022 (8) एससीसी 602
- (5) तुलछा राम बनाम राजस्थान राज्य (डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 219/2018) दिनांक 21.12.2018 को तय किया गया।

अतः, इन परिस्थितियों में, चुनाव अधिकरण द्वारा पारित चुनौतीप्राप्त निर्णय और सरकार द्वारा जारी दिनांक 10.04.2023 का बाद का आदेश, जिसमें सरपंच, ग्राम पंचायत भूरियावास, तहसील थानागाजी, जिला अलवर का प्रभार सौंपने का निर्देश दिया गया है, अवैध हैं और विधि की दृष्टि में मान्य नहीं हैं तथा उन्हें निरस्त और रद्द किया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत, प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दोनों बच्चों, यानी राजेश और ममता की सही जन्मतिथि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार क्रमशः 05.07.1996 और 15.07.1998 है। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने दो बच्चों की जन्मतिथि के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त दस्तावेज, यानी स्कूल प्रवेश फॉर्म, बच्चों के चाचा द्वारा प्रस्तुत किए गए बताए गए थे, जिनकी चुनाव अधिकरण के समक्ष साक्षी-कटघरे में जिरह नहीं की गई है। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने दो बच्चों की जन्मतिथि के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे अत्यधिक संदिग्ध हैं। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इन दस्तावेजों को खारिज करते हुए अधिकरण द्वारा तथ्यों का विस्तृत निष्कर्ष दर्ज किया गया है और

उसके बाद, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, विशेष रूप से याचिकाकर्ता के दोनों बच्चों की कक्षा 10 वीं की अंकतालिकाओं के आधार पर, एक सुसंगत निष्कर्ष दर्ज किया गया है। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता की पुत्री, यानी ममता का जन्म थानागाजी में हुआ था, जबकि स्कूल प्रवेश फॉर्म के अनुसार, प्रवेश जयपुर में लिया गया था, इसलिए इन दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास अपनी पुत्री का प्रवेश जयपुर में कराने का कोई कारण उपलब्ध नहीं है, विशेष रूप से जब अन्य परिवार के सदस्य थानागाजी गांव में रह रहे थे। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अधिकरण द्वारा इन सभी तथ्यों की विचारपूर्वक विचार किया गया था, जबकि मुद्दों संख्या 1 और 2 का निर्णय सुसंगत कारणों को दर्ज करके किया गया था, जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि मुद्दा संख्या 3 का निर्णय करते समय, याचिकाकर्ता को सरपंच के पद पर रहने के लिए अपात्र घोषित करने के बाद, कलेक्टर को विधि के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश जारी किया गया था और इसके परिणामस्वरूप उपचुनावों की प्रक्रिया शुरू की गई थी और अधिकरण द्वारा दिनांक 15.02.2023 को निर्णय पारित होने के बाद उन्हें आयोजित किया गया था और उक्त चुनावों का परिणाम इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण घोषित नहीं किया गया है और ईवीएम मशीन सहित सभी चुनाव सामग्री थानागाजी पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम में सुरक्षित रखी गई है, जिसे खाली किया जाना है और वर्तमान याचिका को खारिज किया जाना है और राज्य-प्रतिवादी को उपचुनावों का परिणाम घोषित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने बिराद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित के मामले में पारित आदेश पर भरोसा किया है, जो एआईआर 1988 एससी 1796 में रिपोर्ट किया गया है।

6. प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता की पुत्री-ममता उस समय जयपुर में अपने चाचा के साथ रह रही थी, जिसके कारण जयपुर में प्रवेश लिया गया था और फॉर्म उनके चाचा द्वारा जमा किया गया था।

7. बार में की गई दलीलों को सुना और उन पर विचार किया गया तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

8. 1994 के अधिनियम की धारा 19 पंच या सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्यता से संबंधित है।

धारा 19 के अनुसार, पंचायती राज संस्था के मतदाताओं की सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति पंच या, जैसा भी मामला हो, ऐसी पंचायती राज संस्था का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति -

(क) से (ट) xxxxx;

(ठ) 27.11.1995 के बाद दो से अधिक बच्चे हों।

(ड) से (प) xxxx

इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति के 27.11.1995 के बाद दो से अधिक बच्चे हैं, तो वह चुनाव लड़ने के लिए अपात्र है।

9. अब इस न्यायालय के विचार के लिए मुद्दा यह है कि "क्या याचिकाकर्ता के 27.11.1995 की कट-ऑफ तिथि के बाद दो अतिरिक्त बच्चे थे या नहीं" और क्या वह सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए योग्य था या अपात्र था?

10. याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 दोनों ने ग्राम पंचायत, भूरियावास, पंचायत समिति, थानागाजी, जिला अलवर के सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ा। उन्होंने अपने नामांकन पत्र जमा किए और याचिकाकर्ता ने 926 मत प्राप्त किए, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ने 704 मत प्राप्त किए और परिणाम के अनुसार, याचिकाकर्ता सरपंच चुना गया।

11. प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता के चुनाव को चुनौती देते हुए एक चुनाव याचिका प्रस्तुत की, इस आधार पर कि उसके 27.11.1995 की कट-ऑफ तिथि के बाद दो अतिरिक्त बच्चे थे, इसलिए उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पूर्व-अयोग्यता है और उसे सरपंच के पद पर रहने के लिए अपात्र घोषित किया जाना चाहिए।

12. याचिकाकर्ता ने अपने नामांकन पत्र में अपने चार बच्चों की निम्नलिखित जन्मतिथि का खुलासा किया: -

<u>क्रम संख्या</u>	<u>नाम</u>	<u>जन्म तिथि</u>
1.	उमेश कुमारी	30.07.1988
2.	अनीता बुडानिया	07.06.1990
3.	राजेश बुडानिया	05.07.1992
4.	ममता बुडानिया	15.04.1994

और 27.11.1995 के बाद बच्चों की संख्या के कॉलम में, उसने "शून्य" का उल्लेख किया।

13. प्रतिवादी संख्या 1 ने चुनाव याचिका में आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने पुत्र राजेश और पुत्री ममता की सही जन्मतिथि के संबंध में अपने नामांकन पत्र (प्रदर्शनी 1) में गलत जानकारी प्रस्तुत की गई थी।

14. प्रतिवादी संख्या 1 ने आरोप लगाया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी इन दोनों बच्चों की कक्षा 10 वीं की अंक-तालिकाओं के अनुसार, याचिकाकर्ता के पुत्र-राजेश कुमार बुडानिया की सही जन्मतिथि 05.07.1996 है और याचिकाकर्ता की पुत्री ममता बुडानिया की जन्मतिथि 15.07.1998 है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी दोनों बच्चों की कक्षा 10 वीं की अंक-तालिकाओं को रिकॉर्ड पर प्रदर्शनी 20 और प्रदर्शनी 21 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। चुनाव अधिकरण ने एडब्ल्यू-3- कन्हैया लाल तंवर की साक्षी-कटघरे में जिरह की, जिन्होंने बयान दिया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार, राजेश बुडानिया की जन्मतिथि 05.07.1996 है और ममता बुडानिया की जन्मतिथि 15.07.1998 है। जिरह में इस साक्षी ने कहा कि बोर्ड परीक्षा का फॉर्म जमा करते समय, कक्षा 8 वीं और 9 वीं की अंकतालिकाओं पर विचार किया जाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

15. जब प्रतिवादी संख्या 1 के बयान डीडब्ल्यू-1 के रूप में दर्ज किए गए, तो उसने याचिकाकर्ता के दो बच्चों की वही जन्मतिथि दोहराई, जैसा कि उनकी कक्षा 10 वीं की अंकतालिकाओं में उल्लिखित है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई हैं। एडब्ल्यू2- कालू राम ने कहा कि उसे ये अंकतालिकाएं प्रदर्शनी 20 और प्रदर्शनी 21 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से प्राप्त हुई थीं।

16. याचिकाकर्ता ने चुनाव अधिकरण के समक्ष साक्षी-कटघरे में स्वयं को डीडब्ल्यू1 के रूप में परीक्षित किया और कहा कि उसके पुत्र राजेश की सही जन्मतिथि 01.01.1995 है और उसकी पुत्री ममता की जन्मतिथि 15.04.1994 है। उसने कहा कि उसके पुत्र राजेश ने सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, टोडा में प्रवेश लिया था और उसके स्कूल प्रवेश फॉर्म के अनुसार, उसकी जन्मतिथि 01.01.1995 है, जबकि माधव शिशु निकेतन सेकेंडरी स्कूल, झालाना इंगरी, जयपुर के स्कूल प्रवेश रिकॉर्ड के अनुसार, उसकी पुत्री ममता की जन्मतिथि 15.04.1994 है। अपने तर्कों के समर्थन में, उसने डीडब्ल्यू3- सीताराम प्रजापत, सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, टोडा के प्रधानाचार्य को साक्षी-कटघरे में परीक्षित किया, जिन्होंने कहा कि राजेश के स्कूल प्रवेश फॉर्म (प्रदर्शनी ए 6) में, उसकी जन्मतिथि 01.01.1995 उल्लिखित है। उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि दस्तावेज (प्रदर्शनी ए-5) मूल से मेल नहीं खाता है और वह उस व्यक्ति के हस्ताक्षरों के बारे में नहीं जानता था, जिन्हें दस्तावेजों पर ए से बी के रूप में चिह्नित किया गया था और वह बच्चे के अभिभावक या माता-पिता के नाम के बारे में नहीं जानता था।

17. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, अधिकरण ने मुद्दों संख्या 1 और 2 का निर्णय याचिकाकर्ता के खिलाफ करते हुए यह माना कि ममता और राजेश के स्कूल प्रवेश फॉर्म प्रदर्शनी ए 1 और प्रदर्शनी ए 5 क्रमशः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे, बल्कि उनके चाचा द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जिनकी इन दस्तावेजों को साबित करने के लिए साक्षी-कटघरे में जिरह नहीं की गई है। अधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि याचिकाकर्ता की पुत्री ममता का जन्म स्थान थानागाजी है, इसलिए उसके पास जयपुर में अध्ययन करने का कोई कारण या अवसर उपलब्ध नहीं था। अधिकरण ने यह तथ्यात्मक निष्कर्ष भी दर्ज किया कि याचिकाकर्ता के पुत्र को उसकी कक्षा 10 वीं की अंकतालिका (प्रदर्शनी 21) के आधार पर नौकरी मिली थी, जिसमें उसकी जन्मतिथि 05.07.1996 दर्ज है। इस निष्कर्ष में यह भी दर्ज है कि न तो याचिकाकर्ता और न ही उसके बच्चों राजेश और ममता ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अपनी कक्षा 10 वीं की अंकतालिकाओं में

अपनी जन्मतिथि में सुधार के लिए कोई कदम उठाया, इसलिए इसे सही और अंतिम माना गया।

18. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 कहता है कि कोई तथ्य "साबित" तब कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष समग्र साक्ष्य पर विचार करने के बाद या तो उसके अस्तित्व में विश्वास करता है, या उसके अस्तित्व को इतना संभावित मानता है कि एक विवेकशील व्यक्ति, विशेष मामले की परिस्थितियों में, उसके अस्तित्व की धारणा पर कार्य करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम के.एस. गांधी के मामले में, जो (1991)2 एससीसी 716 में रिपोर्ट किया गया है, यह माना है कि आपराधिक मामलों के अलावा अन्य मामलों में सबूत का मानक उचित संदेह से परे नहीं है, बल्कि संभावना की प्रबलता पर आधारित है और जहां कहीं भी रिकॉर्ड पर तथ्यात्मक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य से वादी के पक्ष में एक उचित और प्रशंसनीय तथ्यात्मक अनुमान लगाया जा सकता है, उसकी याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने श्रीमती उम्मीद कंवर बनाम प्रभु सिंह के मामले में, जो (2012)4 डब्ल्यूएलसी (राज.) 14 में रिपोर्ट किया गया है, यह माना है कि उम्मीदवारों की अपात्रता पर आधारित चुनाव याचिका में आवश्यक सबूत का मानक "उचित संदेह से परे" नहीं है, बल्कि केवल "संभावना की प्रबलता" है।

19. साक्ष्य अधिनियम, 1872 का अध्याय II के तहत आने वाली धारा 35 यह प्रावधान करती है कि

35. कर्तव्य के निर्वहन में की गई सार्वजनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में प्रविष्टि की प्रासंगिकता। किसी सार्वजनिक या अन्य आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई प्रविष्टि, जिसमें किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का उल्लेख है, और जो किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस देश के कानून द्वारा विशेष रूप से अधिरोपित कर्तव्य के पालन में की गई है, जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर, या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखा जाता है, स्वयं एक सुसंगत तथ्य है।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नारायण गोविंद गावटे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, जो (1977) 1 एससीसी 133 में रिपोर्ट किया गया है, यह माना है कि किसी

परीक्षण या कार्यवाही का परिणाम तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता और एक पक्ष के पक्ष में दूसरे के विरुद्ध संचालित अनुमानों के वजन से निर्धारित होता है, जो एक पक्ष के पक्ष में दूसरे के विरुद्ध संतुलन को झुका सकता है। स्वीकार्य रूप से, 1994 के अधिनियम की धारा 43 के साथ 1994 के नियमों के नियम 80 के तहत एक चुनाव याचिका में चुनाव अधिकरण के समक्ष कोई अनुमान संचालित नहीं हुआ। चुनाव अधिकरण के समक्ष याचिकाकर्ता की पात्रता या अन्यथा से संबंधित मुद्दे चुनाव अधिकरण के समक्ष प्रतिस्पर्धी पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना पर निर्धारणीय थे।

21. अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में, जो (2012)9 एससीसी 750 में रिपोर्ट किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (संक्षेप में 'सीबीएसई') द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र को जन्मतिथि के किसी अन्य साक्ष्य पर वरीयता दी जाएगी।

22. इसी तरह पर्ण भाटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, जो (2016)12 एससीसी 744 में रिपोर्ट किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि यदि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध है और जन्मतिथि की शुद्धता साबित करने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं है, तो मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि को जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण माना जाना चाहिए। पैरा 36 में यह माना गया है कि:-

"36. यह कानून की स्थापित स्थिति है कि यदि मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं और जन्मतिथि की शुद्धता साबित करने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं है, तो मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि को अभियुक्त की जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण माना जाना चाहिए। हालांकि, यदि कोई संदेह है या अभियुक्त द्वारा कोई विरोधाभासी रुख अपनाया जा रहा है जो जन्मतिथि की शुद्धता पर संदेह पैदा करता है, तो जैसा कि इस न्यायालय ने अबूजर हुसैन में निर्धारित किया है, अभियुक्त की आयु के निर्धारण के लिए एक जांच अनुमेय है, जो वर्तमान मामले में किया गया है।"

23. मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र एक सार्वजनिक दस्तावेज है और यह विश्वसनीय और प्रामाणिक है, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले

में, जो 2022 (8) एससीसी 602 में पैरा 33.9 और 33.10 में रिपोर्ट किया गया है, यह माना है, जो इस प्रकार हैं: -

(33.9) कि जब आयु का निर्धारण स्कूल रिकॉर्ड जैसे साक्ष्य के आधार पर होता है, तो यह आवश्यक है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार उस पर विचार किया जाए, क्योंकि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में बनाए गए किसी भी सार्वजनिक या आधिकारिक दस्तावेज की विश्वसनीयता निजी दस्तावेजों की तुलना में अधिक होगी।

(33.10) कोई भी दस्तावेज जो सार्वजनिक दस्तावेजों, जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, के अनुरूप है, उसे न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों, जैसे धारा 35 और अन्य प्रावधानों के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक हो।

24. परिणामस्वरूप, साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत प्रासंगिक साक्ष्य से अत्यधिक प्रभावित हुए बिना, अधिकरण के लिए यह अनिवार्य था कि वह चुनाव याचिकाकर्ता के समक्ष उपलब्ध समस्त साक्ष्य पर विचार करे और उसकी सराहना करे, जिसकी तुलना बचाव साक्ष्य से की गई थी। यह भी विवादित नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 वीं की अंकतालिका में राजेश और ममता की जन्मतिथि में परिवर्तन ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया था क्योंकि इसे उचित मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी याचिकाकर्ता के दो बच्चों, यानी राजेश और ममता की जन्मतिथि से संबंधित अंकतालिकाओं को अनदेखा करना चुनाव अधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं था।

25. याचिकाकर्ता अपने पुत्र राजेश की जन्मतिथि के बारे में निश्चित नहीं है, यानी वह ममता के जन्म से पहले पैदा हुआ था या बाद में। नामांकन प्रपत्र में राजेश को ममता से बड़ा दिखाया गया है, जबकि अधिकरण के समक्ष राजेश को ममता से छोटा दिखाया गया है। पुत्र राजेश की तीन अलग-अलग जन्मतिथि रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं। याचिकाकर्ता स्वयं अपने पुत्र राजेश की सही जन्मतिथि के बारे में निश्चित नहीं है। अतः, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अपने पुत्र राजेश की सही जन्मतिथि के साथ न्यायालय के समक्ष नहीं आया है।

26. उपर्युक्त तथ्यों, कारणों और न्यायिक घोषणाओं के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता के लिए कोई सहायक नहीं हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिकॉर्ड में उनके कक्षा 10 वीं की अंकतालिकाओं में बच्चों की जन्मतिथि से संबंधित प्रविष्टि को किसी ने चुनौती नहीं दी है, इसलिए इसने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है और याचिकाकर्ता द्वारा यह कारण नहीं बताया गया है कि किस आधार पर उसके पुत्र और पुत्री की गलत जन्मतिथि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 वीं की अंकतालिका के रिकॉर्ड में दर्ज की गई थी। वह इस न्यायालय को यह संतुष्ट करने में बुरी तरह विफल रहा है कि यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 वीं की अंकतालिकाओं में उसके पुत्र और पुत्री की जन्मतिथि सही नहीं है, तो भी उनमें से किसी ने भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिकॉर्ड में जन्मतिथि को सही करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया है।

27. ऊपर की गई चर्चाओं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, चुनाव अधिकरण ने यह मानने में कोई विकृति नहीं की है कि कट-ऑफ तिथि यानी 27.11.1995 के बाद दो बच्चे होने के कारण, जो 1995 के अधिनियम की धारा 19(I) के तहत प्रदान किया गया है, यानी राजेश का जन्म 05.07.1996 को और ममता का जन्म 15.07.1998 को हुआ था, याचिकाकर्ता सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं था और फिर भी ऐसा करने और जीतने के कारण, इसे रद्द किया जाना चाहिए था।

28. अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, यह पाया गया है कि चुनौतीप्राप्त निर्णय में कोई दोष नहीं है और इसे एतद्वारा बरकरार रखा जाता है और दिनांक 10.04.2023 का बाद का आदेश सरकार द्वारा सही ढंग से पारित किया गया है। यह न्यायालय इस याचिका में कोई योग्यता और सार नहीं पाता है, तदनुसार इसे खारिज किया जाना है और एतद्वारा खारिज किया जाता है।

29. स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन भी खारिज किए जाते हैं।

30. चुनाव अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह सरपंच ग्राम पंचायत भूरियावास, तहसील थानागाजी, जिला अलवर के पद के लिए हुए उपचुनावों का परिणाम तत्काल घोषित करे और कानून के अनुसार आगे बढ़े।

31. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(अनूप कुमार ढांड),जे

आशु / 214

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

